

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 42/2011	विक्रम संवत् 2068	9(कृ0) पौष 1933 (शा0) जमशेदपुर, सोमवार, 19/12/11
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिघोषणा।		
विषय सूची 1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिघोषणा।		पृष्ठ संख्या 01-15

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -806

दिनांक -19.11.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-काँटालिया, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- 780, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बहरागोड़ा जलवाहा ओ0 आर0 65 के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- काँटालिया, थाना नं0-780 के भीतर भूमि का 1 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 0.225 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-62

चौहदी

उत्तर :- पूर्ण खेसरा संख्या-61 तथा अंश खेसरा संख्या-66

दक्षिण :- पूर्ण खेसरा संख्या-65 तथा अंश खेसरा संख्या-62

पूरब :- पूर्ण खेसरा संख्या-72,71 एवं 69

पश्चिम :- पूर्ण खेसरा संख्या-58

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

लगातार-2

(2)

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 806 / जमशेदपुर, दिनांक 19.11.2011
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -807 /

दिनांक -19.11.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**गुड़ाजोर**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 1223, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० एल० 1 गुड़ाजोर वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **गुड़ाजोर**, थाना नं०-**1223** के भीतर भूमि का 2 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **0.07** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

लगातार-3

(3)

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या-564 एवं 575

चौहदी

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या-570, 573, 574, 568, 564, 577

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या-575

पूरब :-अंश खेसरा संख्या-573

पश्चिम :-संयुक्त सीमारेखा ग्राम-काशवानी, थाना न0-1222

नोट :- अनाबाद झारखण्ड के भूमि का खेसरा संख्या-573, 570, 574, 568, 577 का रकबा 1.58 एकड़ भूमि को अजन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 807

/

जमशेदपुर,

दिनांक 19.11.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-4

(4)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -808

/

दिनांक -19.11.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-काशपानी, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 1222, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० एल० 1 काशवनी लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- काशपानी, थाना नं०-1222 के भीतर भूमि का 41 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 3.29 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जित रकबा-1.795 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या- 633, 631, 630, 629, 628, 623, 622, 621, 620, 614, 615, 608, 606, 605, 603, 602, 583, 586, 585, 574 एवं 572

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-गुड़ाजोर, थानान०- 1123

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या-572 एवं पूर्ण खेसरा संख्या-571

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-633, 631, 630, 623, 622, 621, 620, 614, 615, 613, 608, 606, 605, 603, 602, 583, 586, 585, 574, एवं 572

पश्चिम :-पूर्ण खेसरा संख्या-12

नोट :-आनाबाद झारखण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या-613 का रकबा-0.10 एकड़ भूमि को अजन से मुक्त कर दिया गया है।

अर्जित रकबा-1.495 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या-11, 10, 71, 70, 72, 77, 78, 76, 79, 218, 221, 223, 280, 279, 285, 284, 286, 290, 288 एवं 289

चौहदी

उत्तर :-संयुक्त सीमारेखा ग्राम-गुड़ाजोर, थानान०-1123

दक्षिण :-पूर्ण खेतरा संख्या-269

पूरब :-अंश खेसरा संख्या-11,10,2,71, 70, 77, 76, 79, 218, 221, 223, 280, 279, 285, 286, 280 एवं 289

पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या-289,288,284,280,223,221,218,76,78, 77, 72, 71, 2, 10 एवं 11

लगातार-5

(5)

नोट :- अनाबाद झारखण्ड के भूमि का खेसरा संख्या-2 का रकबा 0.10 एकड़ भूमि को अजन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 808 / जमशेदपुर, दिनांक 19.11.2011
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -809 /

दिनांक -19.11.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- केशरपुर, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 1220, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

लगातार-6

(6)

अर्थात् ओ० आर० १ गुड़ाजोर जलवाह निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— **केशरपुर**, थाना नं०—**1220** के भीतर भूमि का **20** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **1.47** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसराओं की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :—

अर्जनाधीन भूमि का अंश खोसरा संख्या—99, 100, 105, 107, 91, 94, 93, 83, 74, 77, 72, 71, 70, 67, 66, 64, 63, 201, 101 एवं 92

चौहदी

उत्तर :—अंश खेसरा संख्या—15

दक्षिण :—अंश खेसरा संख्या—100 एवं 104

पूरब :—अंश खेसरा संख्या—201, 63, 70, 71, 72, 98, 99, 201, एवं संयुक्त सीमारेखा ग्राम—गूड़ाजोर थानानं०—1123

पश्चिम :—अंश खेसरा संख्या—104, 107, 91, 94, 93, 70, 67, 66, 65, 64, 63 एवं 15

नोट :—आनाबाद झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—104, 82, 65 का रकबा—0.345 एकड़ तथा बन भूमि का खेसरा संख्या—201 का रकबा —0.25 एकड़ भूमि को अजंन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू—अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा — 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा —3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सं०—1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/—

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार—7

(7)

ज्ञापांक 809

/

जमशेदपुर,

दिनांक 19.11.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भु-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -810

/

दिनांक -19.11.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**जमूनाभूला**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- 289, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 एल0 52 वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **जमूनाभूला**, थाना नं0-**289** के भीतर भूमि का **40** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **7.74** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या - 607, 540, 537, 536 तथा अंश खेसरा संख्या-
435, 436, 437, 434, 439, 440, 441, 442, 443, 448, 462, 458, 449, 450, 457, 459, 481,
475, 476, 478, 477, 533, 546, 542, 534, 535, 583, 582, 538, 539, 578, 580, 579, 577,
575 एवं 576

चौहदी-खण्ड "क"

उत्तर :-संयुक्त सीमारेखा ग्राम-जुगीतुबा, थाना न0-270

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या-459 एवं 457

पूरब :-अंश खेतरा संख्या-435, 434, 440, 441, 442, 462, 458 एवं 459

पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या-457, 450, 449, 448, 443, 442, 440, 439, 437 एवं 436

लगातार-8

(8)

खण्ड—“ख”

उत्तर :—अंश खेसरा संख्या—459, 481, 475, 476, 533, 546, 542, 541, 539, 578 एवं 582
दक्षिण :—अंश खेसरा संख्या—583,534,533,537, 477, 478, 481, 456, 455, 607, 457 एवं 459
पूरब :—अंश खेसरा संख्या—459, 481, 475, 476, 533, 546, 542, 541, 539, 578 एवं 582
पश्चिम :—अंश खेसरा संख्या—583, 534 ,533,537,477,478,481, 456, 455, 607, 457, एवं 459

खण्ड—“ग”

उत्तर :—अंश खेसरा संख्या—578, 541, एवं 288
दक्षिण :—अंश खेसरा संख्या—576, 577, 579, 580 एवं 582
पुरब :—संयुक्त सीमारेखा ग्राम—झरिया, थाना न0—288
पश्चिम :—अंश खेसरा संख्या—582 एवं 578
नोट :—आनाबाद झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—541 का रकबा—0,11एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।
भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू—अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा — 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा —3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी, सं0—1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/—

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 810 / जमशेदपुर, दिनांक 19.11.2011
प्रतिलिपि :— निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप—समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/—

विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी संख्या—1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार—9

(9)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -811 /

दिनांक -19.11.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**जुगीतुपा**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 290, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० एल० 52 वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **जुगीतुपा**, थाना नं०-**290** के भीतर भूमि का **70** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **9.42** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या - 1121, 1163, 1204, 1208, 759, 744, 1289 एवं अंश खेसरा संख्या- 1032, 1053, 1054, 1057, 1056, 1055, 1074, 1050, 1083, 1075, 1082, 1084, 1081, 1122, 1161, 1167, 1762, 1158, 1168, 1157, 1153, 1169, 1154, 1152, 1151, 1150, 1145, 1146, 1147, 1148, 1206, 1202, 1208, 1209, 1205, 1207, 1287, 1354, 763, 756, 758, 759, 762, 761, 760, 749, 758, 742, 739, 792, 734, 793, 729, 730, 731, 718, 717, 714, 1288, 1292, 1291, 1290 एवं 751

चौहदी-खण्ड-"क"

उत्तर :-
दक्षिण :-
पूरब :-
पश्चिम :-

अंश खेसरा संख्या-1031

खण्ड-"ख"

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या-1032, 1053, 1054, 1057, 1074, 1075, 1086, 1081, 1122, 1120, 1161, 1162, 1158, 1168, 1158, 1152, 1151, 1150, 1146, एवं 1206

लगातार-10

(10)

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या-1202, 1206, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1169, 1167, 1164, 1120, 1081, 1084, 1088, 1050, 1055, 1054, 1053, एवं 1032

पूरब :-अंश खेसरा संख्या-1202

पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या-1031

खण्ड-“ग”

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या-762

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या-1202

पूरब :-अंश खेसरा संख्या-1354, 1287, 1289, 1203 एवं 1202

पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या-1146, 1206, 1287, 1354 एवं 1202

खण्ड-“घ”

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या-763, 754, 756, 758, 739, 733, 731, 717, एवं 714

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या-714, 718, 731, 730, 729, 733, 734, 735, 739, 744, 752, 749, 751, 700, 761 एवं 462

पूरब :-अंश खेसरा संख्या-414

पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या-1354

खण्ड-ड.-च

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या-714

दक्षिण :-संयुक्त सीमारेखा ग्राम-289

पूरब :-अंश खेसरा संख्या-1287 एवं 1290

पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या-1281, 1282, 1288, 1287, एवं 714

नौट :-बनभूमि का खेसरा संख्या-1031 का रकबा-3.20 एकड़ तथा अनाबाद झारखण्ड

सरकार भूमि का खेसरा संख्या-1120 का रकबा-0.82 एकड़ भूमि का अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

(11)

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1, 1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 811 / जमशेदपुर, दिनांक 19.11.2011
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -812 /

दिनांक -19.11.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-आमड़ागरा, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 286 जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० एल० 52 वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि

लगातार-12

(12)

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— आमड़ागरा, थाना नं०—286 के भीतर भूमि का 80 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 9.43 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या — 609, 597, 598, 599, 460, 467, 333, 334, 340, 351, 362, 143 तथा अंश खेसरा संख्या—800, 803, 805, 807, 810, 625, 624, 622, 623, 627, 678, 630, 631, 614, 614, 611, 610, 608, 607, 596, 600, 457, 461, 462, 463, 458, 459, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 332, 336, 337, 338, 339, 341, 346, 352, 350, 250, 361, 363, 364, 249, 251, 248, 252, 247, 246, 162, 166, 165, 167, 152, 139, 151, 140, 141, 142, 144, 82, 635, 335, 245 एवं 83

चौहदी—खण्ड—“क”

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या—795, 793, 803, 807, 621, 625, एवं 624

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या—622, 621, 807, 805, 803, 800, 793, एवं 795

पूरब :-अंश खेसरा संख्या—624 एवं 623

पश्चिम :-संयुक्त सीमारेखा ग्राम—झरिया, थाना न०—288

खण्ड— “ख”

उत्तर :-संयुक्त सीमारेखा ग्राम—पाथरचाकड़ी, थानान०—284

दक्षिण :-अंश खेतारा संख्या—622, 624

पूरब :-अंश खेसरा संख्या—144, 142, 141, 140, 151, 152, 165, 166, 162, 247,

248, 249, 362, 365, 363, 361, 352, 346, 339, 338, 337, 336, 335, 471, 470,

469, 467, 466, 465, 459, 458, 457, 600, 607, 608, 612, 614, 630, 623, 622

पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या—624, 627, 628, 630, 631, 611, 610, 635, 596, 601,

602, 463, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 332, 326, 337, 341, 346, 350, 240,

251, 252, 245, 246, 162, 167, 139, 83, एवं 82

नोट :-अनाबाद बन भूमि का खेसरा संख्या—795 एवं 793 का रकबा—3.85 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त किया गया है।

लगातार—13

(13)

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1, 1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 812

/

जमशेदपुर,

दिनांक 19.11.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -813

/

दिनांक -19.11.2011

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कामारीगोड़ा, परगनाथाना-घाटशिला, थाना नं०- 331 जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक

लगातार-14

(14)

प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 52 वितरणी निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— **कामारीगोड़ा**, थाना नं०—**331** के भीतर भूमि का **42** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **6.53** एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या — —302, 299, 298, 301, 300, 297, 296,
294, 293, 291, 292, 290, 289, 70, 288, 71, 286, 287, 285, 438, 471, 470, 467,
479, 478, 480, 481, 477, 578, 483, 482, 506, 505, 498, 499, 500, 502, 501,
496, 422, 462 एवं 421

चौहदी—खण्ड—“क”

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या—79 एवं 70

दक्षिण :-संयुक्त सीमारेखा ग्राम—गोबिन्दपुर, थाना न०—330

पूरब :-अंश खेसरा संख्या—289, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 301 एवं 302

पश्चिम :-अंश खेसरा संख्या—302, 299, 298, 297, 294, 293, 291, 290 एवं 289

खण्ड—ख

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या—70, 288, 71, 286, 285, 438, 471, 467, 477, 483, 482,
505, 498 एवं 496

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या—501, 502, 499, 505, 506, 578, 481, 480, 478, 467,
470, 438, 285, 422, 288 एवं 289

पूरब :-संयुक्त सीमारेखा ग्राम—चाकूलिया, थानान०—328

पश्चिम :-पूर्ण खेसरा संख्या—69 तथा अंश खेसरा संख्या—70

नोट :-अनाबाद झारखण्ड सरकार का भूमि का खेसरा संख्या—285 का रकबा—0.06 एकड़ भूमि को अर्जन से मूक्त किया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो,ले लिये जायेंगे।

लगातार—15

(15)

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1, 1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 813

/

जमशेदपुर,

दिनांक 19.11.2011

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।